सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 22, शुक्रवार, शाके 1948- जून 12, 2026
Jyaistha 22, Friday, Saka 1948- June 12, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-जायल

अधिसूचना

जयपुर, जून 01, 2026

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

RAJKAJ NO : 22440936 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **नागौर जिले की डेह तहसील में डेह (एनएच-58) से गेनाना (एनएच-458) वाया खेडा छापड़ा रोटू गोराऊ सांडास मालगांव सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत रोटू बाईपास सड़क निर्माण कार्य** हेतु आवश्यक भूमि अवाप्ति प्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांव में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व गांव	सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड़ अधिकारी
1	नागौर	डेह	रोटू	उपखण्ड़ अधिकारी, जायल

उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- जायल द्वारा **"वंश कंसलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713"** एजेन्सी का चयन किया गया हैं। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड-जायल, जिला-नागौर (राज) 341023
फोन नं. 7568752051
ई-मेलः pwd_jayal@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

वंश कंसलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713
प्रतिनिधि: अमित कुमार, मोबाईलः 9694916630
ई-मेलः vanshconsultancy26@gmail.com

आदेश द्वारा
पंकज आर्य,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.विभाग, राजस्थान
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।